अनुबंध -2

<u>30 जून 2010 तक स्वीकृत किए गए ऋणों पर लागू होने वाले बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) संबंधी दिशानिर्देश [पैराग्राफ 2.3.6]</u>

18 अक्तूबर 1994 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 लाख रुपयों से अधिक राशि के अग्रिमों पर ब्याज दरों का अविनियमन किया है और ऐसे अग्रिमों पर ब्याज की दरें बीपीएलआर और स्प्रेड संबंधी दिशानिर्देशों के अधीन बैंकों को अपने आप निर्धारित करनी है। 2 लाख रुपयों तक की ऋण सीमाओं के लिए बैंकों को उतना ही ब्याज प्रभारित करना चाहिए जो कि उनके बीपीएलआर से अधिक नहीं है। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए और वाणिज्य बैंकों को अपनी उधार दरों को निश्चित करने में परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए, बैंक अपने संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित पारदर्शी तथा वस्तुपरक नीति के आधार पर निर्यातकों अथवा अन्य ऋण देने के लिए पात्र उधारकर्ताओं को बीपीएलआर से कम दर पर ऋण दे सकते हैं, जिनमें सार्वजनिक उपक्रम शामिल हैं । बैंक बीपीएलआर से ऊपर ब्याज दरों के अधिकतम स्प्रेड को घोषित करना जारी रखेंगे।

भारत में प्रचलित ऋण बाज़ार तथा छोटे उधारकर्ताओं को रियायत देना जारी रखने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में बीपीएलआर को 2 लाख रुपयों तक के ऋणों के लिए उच्चतम सीमा मानने की प्रथा जारी रहेगी।

टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने के लिए दिए गए ऋणों, शेयर तथा डिबेंचर्स/बांडों की जमानत पर व्यक्तियों के दिए गए ऋणों, अन्य गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र व्यक्तिगत ऋणों आदि के संबंध में नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार बैंक बीपीएलआर से संदर्भ किए बिना तथा ऋण की मात्रा पर ध्यान दिए बिना ब्याज दरों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

न्यूनतम मूल उधार दर संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एकसमान रूप से लागू की जाएगी ।

<u>बेंचमार्क मूल उधार दर का निर्धारण</u>

बैंकों के ऋण उत्पादों के मूल्य निर्धारण में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि मूल उधार दर वास्तविक लागत दर्शाये, बैंक अपनी बेंचमार्क मूल उधार दर का निर्धारण करते समय नीचे दिये गये सुझावों पर विचार करें :

बैंकों को बेंचमार्क मूल उधार दर निर्धारित करते समय अपनी (i) निधियों की वास्तविक लागत; (ii) परिचालन व्यय तथा (iii) प्रावधानीकरण / पूंजी प्रभार तथा लाभ मार्जिन संबंधी विनियामक

अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम मार्जिन को ध्यान में रखना चाहिए । बैंकों को अपने निदेशक-मंडल के अनुमोदन से बेंचमार्क मूल उधार दर घोषित करनी चाहिए ।

बेंचमार्क मूल उधार दर 2 लाख रुपये तक की ऋण-सीमा के लिए अधिकतम दर होगी ।

उपर्युक्त के अनुसार मीयादी प्रीमियम तथा /अथवा जोखिम प्रीमियम को विचार में लेते हुए निर्धारित की गई बेंचमार्क मूल उधार दर के संदर्भ में सभी अन्य उधार दरें निर्धारित की जा सकती हैं।

बेंचमार्क मूल उधार-दर के परिचालनगत पहलुओं से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश भारतीय बैंक संघ ने 25 नवंबर 2003 को जारी किए हैं।

ग्राहक संरक्षण के हित में और उधारकर्ताओं को प्रभारित की गई वास्तविक ब्याज दरों के संबंध में अधिक पारदर्शिता हो, इसके लिए बैंकों को चाहिए कि वे बेंचमार्क मूल उधार दर के साथ प्रभारित की जाने वाली अधिकतम तथा न्यूनतम ब्याज दरों संबंधी जानकारी देना जारी रखें।

<u>उधार दरें निश्चित करने की स्वतंत्रता</u>

निम्नलिखित ऋणों के संबंध में बैंकों को बीपीएलआर से संदर्भ किए बिना तथा ऋण की मात्रा पर ध्यान दिए बिना ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता है :

i. टिकाऊ- उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए ऋण;
ii. शेयर तथा डिबेंचर्स /बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को दिए गए ऋण;
iii. क्रेडिट कार्ड देयताओं सहित अन्य गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र व्यक्तिगत ऋण;
iv. बैंक के पास घरेलू / अनिवासी बाह्य खाता / विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम / ओवरड्राफ्ट, बशर्ते कि जमाराशि / जमाराशियां या तो ऋणकर्ता / ऋणकर्ताओं के स्वयं के नाम में हों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप में ऋण लेनेवाले के नाम में हों;
v. अंतिम हिताधिकारियों को आगे उधार देने के लिए आवास वित्त मध्यवर्ती एजेंसियों (नीचे दी गयी सूची) सहित मध्यवर्ती एजेंसियों तथा निविष्टि समर्थन देने वाली एजेंसियों को प्रदान किया गया वित्त;

vi. बिलों की भुनाई;

vii. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अधीन पण्यों /वस्तुओं की जमानत पर दिए गए ऋण/ अग्रिम/ नकद ऋण /ओवरड्राफ्ट;

viii. किसी सहकारी बैंक को या किसी अन्य बैंकिंग संस्थान को;

ix. अपने ही कर्मचारियों को;

x. मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं की पुनर्वित्त योजनाओं द्वारा कवर किए गए ऋण।

मध्यवर्ती एजेन्सियों की उदाहरणस्वरूप सूची

1. कमज़ोर वर्गों को आगे ऋण देने के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठन । कमज़ोर वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं -

   i) 5 एकड़ और उससे कम भूधारितावाले लघु और सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक, काश्तकार और बंटाईदार ;
   ii) शिल्पी, ग्रामीण और कुटीर उद्योग जिनमें अलग-अलग ऋण संबंधी अपेक्षाएं 50 हजार रुपये से अधिक न हों ;
   iii) स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के लाभार्थी;
   iv) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ।
   v) विभेदक ब्याज दर योजना के लाभार्थी;
   vi) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी;
   vii) सफाईवालों की मुक्ति और पुनर्वास योजना के अंतर्गत आनेवाले लाभार्थी ।
   viii) स्वयं सहायता समूहों को स्वीकृत अग्रिम ।
   ix) विपत्तिग्रस्त गरीबों को अनौपचारिक क्षेत्र से लिए गए उनके ऋण को चुकाने के लिए उचित संपार्श्विक अथवा सामूहिक जमानत पर ऋण।

समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को उपर्युक्त (i) से (viii) के अंतर्गत प्रदान किये गये ऋण है।

उन राज्यों में जहां अधिसूचित किए गए अल्पसंख्यक समुदाय में से एक वास्तव में अधिसंख्यक समुदाय है वहां मद (ix) के अंतर्गत केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यक कवर किए जाएंगे। वे राज्य/संघ शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैण्ड और लक्षद्वीप।

2. कृषि निविष्टियों /उपकरणों के वितरक ।

3 राज्य वित्त निगम /राज्य औद्योगिक विकास निगम, उस सीमा तक जिस सीमा तक वे कमज़ोर वर्गों को ऋण प्रदान करते हैं ।

4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ।

5 खादी और ग्रामोद्योग आयोग ।

6 विकेंद्रीकृत क्षेत्र को मदद करनेवाली एजेंसियां ।

7 कमज़ोर वर्गों को आगे ऋण प्रदान करने के लिए राज्य प्रायोजित संगठन ।

8 आवास और शहरी विकास निगम लि. (हडको) ।

9 राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुनर्वित्त के लिए अनुमोदित आवास वित्त कंपनियां ।

10 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठन (इन संगठनों के लाभार्थियों को निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति के लिए और /अथवा उनके उत्पादन के विपणन के लिए) ।

11 स्वयं सहायता समूहों को आगे ऋण देने के लिए व्यष्टि वित्त संस्थाएं/गैर सरकारी संगठन ।